

के मामले में न्यूनतम योग्यता मैट्रीकुलेशन नहीं रही गई है। मैट्रीकुलेशन परीक्षा में फेल तथा मैट्रिक दर्जे तक शिक्षा प्राप्त उम्मीदवार भी इस पद पर नियुक्ति-योग्य माने जाते हैं। लेबोरेटरी एग्जिस्टेंटों को केमिस्ट्री द्वारा बताये गये बंधे-बंधाये कार्य करने होते हैं। इसलिये निम्न श्रेणी लिपिकों और लेबोरेटरी एग्जिस्टेंटों के पद न तो योग्यता के मामले में परस्पर समान हैं और न कार्य की प्रकृति के मामले में।

(ग) और (घ) 1-5-1966 से लेबोरेटरी एग्जिस्टेंटों का वेतन मान 80-110 रुपये से सशोधित करके 85-128 रुपये कर दिया गया है। इसके बाद वेतन मान में प्रागे वृद्धि के लिए सशोधन करने के सम्बन्ध में कुछ भ्रम्यावेदन प्राप्त हुए हैं। लेबोरेटरी एग्जिस्टेंटों द्वारा किये जाने वाले कार्य के स्वरूप को देखते हुए सरकार ने निर्णय किया है कि उनके वेतन मान में और प्रागे वृद्धि के लिये सशोधन करने का कोई प्रीचिन्त्य नहीं है।

परिवार नियोजन का प्रशिक्षण

733. श्री सरजू पाखेव : क्या स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि गन वर्क गांधीग्राम बम्बई तथा नई दिल्ली में परिवार नियोजन के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये प्रशिक्षणार्थी बुलाये गये थे,

(ख) यदि हा तो विभिन्न राज्यों में इन प्रशिक्षण केन्द्रों में कितने प्रशिक्षणार्थी हैं,

(ग) इन प्रशिक्षण केन्द्रों में ऐसे प्रशिक्षण पर कुल किनना व्यय हुआ है,

(घ) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षणार्थियों को कोई बर्षीफा नहीं दिया गया जब कि बम्बई तथा गांधीग्राम के प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण

प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को प्रति मास 150 रुपये बर्षीफा दिया गया, और

(ङ) यदि हा, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री (डा० बीमति चन्द्रसेखर) : (क) जी, हा।

(ख) अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [मुस्तकालय में रखा गया। वैकिक संख्या एल डी-283/67]

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और तैयार होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) जी, हा।

(ङ) वर्तमान प्रणाली के अनुसार छात्रवृत्ति केवल उन प्रशिक्षणार्थियों को मिल सकती है जो प्रशिक्षण केन्द्र से सम्बद्ध छात्रावास में रहते हो। चूकि नई दिल्ली स्थित प्रशिक्षण संस्थान से कोई छात्रावास सम्बद्ध नहीं है अतः प्रशिक्षार्थी इन छात्रवृत्तियों को पान के अधिकारी नहीं थे। इसके बदले उन्हें अपना सामान्य दैनिक भत्ता मिलता रहा।

Eastern Districts of U P

734. Shri Rajdeo Singh
Shri Shambhu Nath.
Shri Nageshwar

Will the Minister of Finance be pleased to state

(a) the amount of help given for the development work for Azamgarh, Ghazipur Jaunpur and Deoria Districts of Uttar Pradesh so far, and

(b) the amount proposed to be spent in the next financial year?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji